


11.06.2024:-पत्रावली आज पेशी मे आई। प्रार्थी वकील
अनुपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वाद पत्र
अदम पैरवी खारिज हो गया। प्रार्थी मूल वाद पत्र
खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई
कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज
होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत
धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि
जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाव
तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।




सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़